गृह मंत्रालय

मांग संख्या 48

पुलिस

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	54626.34	9064.09	63690.43	61682.41	9042.17	70724.58	64459.31	9508.69	73968.00	67544.94	11178.36	78723.30
वसूलियां	*-346.60*	*-9.20*	-355.80	*-468.88*	*-71.12*	*-540.00*	*-626.48*	*-13.52*	*-640.00*	*-700.61*	*-22.69*	*-723.30*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**54279.74**	**9054.89**	**63334.63**	**61213.53**	**8971.05**	**70184.58**	**63832.83**	**9495.17**	**73328.00**	**66844.33**	**11155.67**	**78000.00**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. *केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल*												
1.01 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	14034.79	292.70	14327.49	15843.65	384.53	16228.18	16641.33	356.74	16998.07	17400.35	468.18	17868.53
1.02 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	545.33	23.21	568.54	624.22	64.25	688.47	657.02	64.25	721.27	702.29	113.81	816.10
1.03 सीमा सुरक्षा बल	12809.40	186.50	12995.90	14447.90	205.00	14652.90	14651.30	188.20	14839.50	15335.25	233.86	15569.11
1.04 इंडो-तिब्बत सीमा बल	3710.22	62.46	3772.68	4142.24	88.80	4231.04	4513.58	76.00	4589.58	4711.75	112.56	4824.31
1.05 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	5644.82	16.87	5661.69	6042.50	24.63	6067.13	6444.62	18.63	6463.25	6643.35	42.90	6686.25
1.06 असम रायफल्स	3737.09	110.51	3847.60	4242.50	121.38	4363.88	4447.58	194.38	4641.96	4632.94	168.90	4801.84
1.07 सशस्त्र सीमा बल	3375.73	41.80	3417.53	3775.67	79.00	3854.67	4028.06	68.00	4096.06	4221.87	98.80	4320.67
1.08 विभागीय लेखांकन	77.66	...	77.66	90.18	...	90.18	94.16	...	94.16	98.30	...	98.30
जोड़- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल	*43935.04*	*734.05*	*44669.09*	*49208.86*	*967.59*	*50176.45*	*51477.65*	*966.20*	*52443.85*	*53746.10*	*1239.01*	*54985.11*
2. आसूचना ब्यूरो	1325.84	15.60	1341.44	1390.45	20.00	1410.45	1510.61	15.00	1525.61	1555.07	22.00	1577.07
3. राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड	14.75	0.60	15.35	27.00	18.00	45.00	16.21	2.50	18.71	23.97	21.60	45.57
4. विशेष रक्षा दल	257.13	19.38	276.51	307.18	52.37	359.55	305.93	49.40	355.33	334.00	55.25	389.25
5. दिल्ली पुलिस	4638.54	111.57	4750.11	5524.63	133.21	5657.84	5502.22	117.82	5620.04	5755.60	154.68	5910.28
6. केंद्रीय पुलिस संगठन	500.52	8.48	509.00	613.48	44.81	658.29	616.44	12.00	628.44	660.71	45.67	706.38
7. शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान	172.43	15.01	187.44	246.93	30.98	277.91	197.45	15.71	213.16	253.54	33.59	287.13
8. अपराध विज्ञान और फॉरेंसिक विज्ञान	36.75	2.04	38.79	45.04	16.29	61.33	44.35	5.26	49.61	47.98	19.58	67.56
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	50881.00	906.73	51787.73	57363.57	1283.25	58646.82	59670.86	1183.89	60854.75	62376.97	1591.38	63968.35
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
9. आईवीएफआरटी (आव्रजन, वीजा तथा विदेशियों का पंजीकरण	61.71	...	61.71	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	66.00	...	66.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
तथा ट्रैकिंग)												
10. कल्याण अनुदान, वायुयान/नौकाए तथा विविध मदें	119.18	845.70	964.88	149.13	106.67	255.80	142.81	61.67	204.48	223.19	120.55	343.74
11. अनुरक्षण और बार्डर चेक पोस्ट :												
11.01 रखरखाव और बॉर्डर चेक पोस्ट	160.14	...	160.14	209.40	...	209.40	205.78	...	205.78	244.32	...	244.32
11.02 पूंजी परिव्यय	...	1747.34	1747.34	...	2490.00	2490.00	...	1722.73	1722.73	...	2355.68	2355.68
जोड़- अनुरक्षण और बार्डर चेक पोस्ट :	*160.14*	*1747.34*	*1907.48*	*209.40*	*2490.00*	*2699.40*	*205.78*	*1722.73*	*1928.51*	*244.32*	*2355.68*	*2600.00*
12. पुलिस अवसंरचना												
12.01 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठन की भवन परियोजनाएं	...	3337.01	3337.01	...	3012.98	3012.98	...	2991.75	2991.75	...	4008.06	4008.06
12.02 दिल्ली पुलिस	...	401.61	401.61	...	252.50	252.50	...	191.25	191.25	...	439.00	439.00
जोड़- पुलिस अवसंरचना	*...*	*3738.62*	*3738.62*	*...*	*3265.48*	*3265.48*	*...*	*3183.00*	*3183.00*	*...*	*4447.06*	*4447.06*
13. अनुसंधान	...	1820.65	1820.65	299.23	1820.65	2119.88	313.68	3338.88	3652.56	347.00	2636.00	2983.00
14. नेपाल पुलिस अकादमी के लिए सहायता	...	...	...	10.30	...	10.30	...	...	...	11.33	...	11.33
15. नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो	438.34	...	438.34	140.00	...	140.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
16. महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजना												
16.01 निर्भया निधि अंतरण	...	...	...	150.00	...	150.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
16.02 राष्ट्रीय आपात प्रतिक्रिया प्रणाली और महिला और बच्चों के प्रति साइबर अपराध रोकथाम	3.17	0.06	3.23	78.88	71.12	150.00	236.48	13.52	250.00	290.61	22.69	313.30
16.03 निर्भया निधि से लिया जाए	-3.17	-0.06	-3.23	-78.88	-71.12	-150.00	-236.48	-13.52	-250.00	-290.61	-22.69	-313.30
निवल	*...*	*...*	*...*	*150.00*	*...*	*150.00*	*50.00*	*...*	*50.00*	*50.00*	*...*	*50.00*
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**779.37**	**8152.31**	**8931.68**	**1018.06**	**7682.80**	**8700.86**	**777.27**	**8306.28**	**9083.55**	**946.84**	**9559.29**	**10506.13**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
17. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण	21.23	...	21.23	88.00	...	88.00	88.00	...	88.00	300.00	...	300.00
अन्य												
18. इंडिया रिजर्व बटालियन और बटालियन तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति	59.40	5.00	64.40	68.90	5.00	73.90	71.70	5.00	76.70	98.52	5.00	103.52
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**80.63**	**5.00**	**85.63**	**156.90**	**5.00**	**161.90**	**159.70**	**5.00**	**164.70**	**398.52**	**5.00**	**403.52**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
19. पुलिस बल का आधुनिकीकरण												
19.01 राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और सीसीटीएनएस	712.70	...	712.70	845.00	...	845.00	845.00	...	845.00	800.00	...	800.00
19.02 वामपंथ प्रभावित क्षेत्रों के लिए एसआरई एवं विशेष अवसंरचना स्कीम	868.65	...	868.65	840.00	...	840.00	1390.00	...	1390.00	1222.00	...	1222.00
जोड़- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	*1581.35*	*...*	*1581.35*	*1685.00*	*...*	*1685.00*	*2235.00*	*...*	*2235.00*	*2022.00*	*...*	*2022.00*

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
20. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	990.00	...	990.00	990.00	...	990.00	990.00	...	990.00	1100.00	...	1100.00
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**2571.35**	**...**	**2571.35**	**2675.00**	**...**	**2675.00**	**3225.00**	**...**	**3225.00**	**3122.00**	**...**	**3122.00**
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
21. वास्तविक वसूलियां	-32.61	-9.15	-41.76	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	*54279.74*	*9054.89*	*63334.63*	*61213.53*	*8971.05*	*70184.58*	*63832.83*	*9495.17*	*73328.00*	*66844.33*	*11155.67*	*78000.00*
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. पुलिस	51567.46	...	51567.46	58454.33	...	58454.33	60645.13	...	60645.13	63715.48	...	63715.48
2. पुलिस पर पूंजी परिव्यय	...	9049.89	9049.89	...	8288.98	8288.98	...	8833.10	8833.10	...	10252.92	10252.92
जोड़-सामान्य सेवाएं	51567.46	9049.89	60617.35	58454.33	8288.98	66743.31	60645.13	8833.10	69478.23	63715.48	10252.92	73968.40
अन्य												
3. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	2696.89	...	2696.89	2733.90	...	2733.90	3185.70	...	3185.70	3117.52	...	3117.52
4. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	15.39	...	15.39	15.00	...	15.00	2.00	...	2.00	...	...	...
5. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	...	...	...	10.30	...	10.30	...	...	...	11.33	...	11.33
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	677.07	677.07	...	657.07	657.07	...	897.75	897.75
7. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
जोड़-अन्य	2712.28	5.00	2717.28	2759.20	682.07	3441.27	3187.70	662.07	3849.77	3128.85	902.75	4031.60
कुल जोड़	54279.74	9054.89	63334.63	61213.53	8971.05	70184.58	63832.83	9495.17	73328.00	66844.33	11155.67	78000.00

1. **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल:** केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल यह प्रावधान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों अर्थात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, असम रायफल्स, सशस्त्र सीमा बल तथा इन बलों से संबद्ध विभागीय लेखाकरण संगठनों के प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए है। पूंजीगत भाग के अंतर्गत प्रावधान मशीन एवं उपकरणों तथा मोटर वाहनों के प्रापण के लिए है।

2. **आसूचना ब्यूरो:** यह प्रावधान आसूचना ब्यूरो के प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए है।

3. **राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड:** यह प्रावधान राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड के लिए है जिसका उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करने में एक इनपुट के रूप में डाटा बेसों को जोड़ना है। इसका उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करने की क्षमता में सुधार करने की सुविधा मुहैया कराना है।

4. **विशेष रक्षा दल:** इसमें विशेष सुरक्षा ग्रुप के लिए प्रावधान शामिल है जो भारत के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों, भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार के सदस्यों तथा अन्य सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को समीप से सुरक्षा प्रदान करना है।

5. **दिल्ली पुलिस:** दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी जिम्मेदारी में शहर में यातायात प्रबंधन भी शामिल है। इस प्रावधान में रूटीन खर्चे तथा एनसीआर महानगरों में यातायात एवं संचार नेटवर्क तथा मॉडल यातायात प्रणाली विकसित करने, संचार अवसंरचना के उन्नयन अथवा विस्तार, प्रशिक्षण के उन्नयन, नवीनतम प्रौद्योगिकी को लागू करना तथा यातायात सिगनल लगाने आदि जैसी दिल्ली पुलिस द्वारा लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए खर्चे शामिल हैं।

6. **केंद्रीय पुलिस संगठन:** यह प्रावधान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, आप्रवासन ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, अश्रु गैस यूनिट, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण तथा अंतर-राज्यीय पुलिस वायरलैस योजना समन्वय निदेशालय के प्रशासनिक खर्चों के लिए है।

7. **शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान:** इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं विधि विज्ञान संस्थान, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान पर होने वाला व्यय शामिल है। यह प्रावधान पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की इन योजनाओं के लिए भी है; (क) प्रशिक्षण उपाय, (ख) बेहतर कार्यकुशलता

तथा जनता और पुलिस तक अधिक पहुंच आदि से संबंधित आर एंड डी परियोजनाओं तथा प्रशिक्षण के माध्यम से अवैध मानव व्यापार को रोकने के लिए प्रर्वतन कार्रवाई संबंधी प्रशिक्षण और अवैध मानव व्यापार रोधी यूनिट की स्थापना संबंधी परियोजना।

8. **अपराध विज्ञान और फॉरेंसिक विज्ञान:** इसमें विधि विज्ञान निदेशालय तथा केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं पर होने वाला प्रशासनिक व्यय शामिल है। प्रावधान, मानव संसाधन विकास तथा अनुसंधान एवं विकास योजनाओं, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं तथा डीएनए केन्द्रों की स्थापना पर जोर देते हुए केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए भी है।

9. **आईवीएफआरटी (आव्रजन, वीजा तथा विदेशियों का पंजीकरण तथा ट्रैकिंग):** यह प्रावधान मिशन मोड परियोजना के लिए है जिसका मूल उद्देश्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाते हुए एक ऐसा सुरक्षित और एकीकृत सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क विकसित करना है जिससे वैध यात्रियों को सुविधा हो सके।

10. **कल्याण अनुदान, वायुयान/नौकाए तथा विविध मदें:** यह प्रावधान सीमा सुरक्षा बल के अधीन एयर विंग द्वारा एयरक्राफ्ट और रिवर बोट के रखरखाव, स्थलाकृति दस्तावेज तैयार करने तथा अन्य सरकारों/विभागों को अदा किए गए प्रभारों के लिए है। इस प्रावधान में प्रशिक्षण एवं विकास, ई गवर्नेंस के लिए अवसंरचना, आतंकवादी हमले/विद्रोह का मुकाबला करने में मारे गए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के निकट संबंधी को अनुग्रह भुगतान भी शामिल है।

11.01. **अनुरक्षण और बार्डर चेक पोस्ट ::** इस प्रावधान में सीमा संबंधी निर्माण कार्यों और सीमा जांच चौकियों के रखरखाव से संबंधित परिव्यय शामिल है।

11.02. **अनुरक्षण और बार्डर चेक पोस्ट ::** यह प्रावधान कंटीले तारों की बाड़ लगाने, सड़कों के निर्माण, ओपी टॉवर के निर्माण, तेज रोशनी की व्यवस्था करने, भारत-बांग्लादेश और भारत-पाक सीमाओं पर उच्च तकनीक की निगरानी की व्यवस्था करने, पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर विभिन्न प्रकार की निर्माण गतिविधियों, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बेहतर निगरानी हेतु देश के तटीय क्षेत्रों में सचल जांच चौकियों की स्थापना करने के लिए है। इस प्रावधान में सीमापार चौकियों का निर्माण कार्य भी शामिल है।

12.01. **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठन की भवन परियोजनाएं:** यह प्रावधान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, केद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों, राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, विभागीय लेखाकरण संगठन और विशेष सुरक्षा ग्रुप के कार्यालय भवनों तथा रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए है।

12.02. **दिल्ली पुलिस:** यह प्रावधान दिल्ली पुलिस के कार्यालय भवन तथा रिहायशी भवन संबंधी परियोजनाओं के लिए है।

13. **अनुसंधान:** यह प्रावधान अनुसंधान संबंधी गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए है।

14. **नेपाल पुलिस अकादमी के लिए सहायता:** यह प्रावधान नेपाल पुलिस अकादमी को सहायता प्रदान करने के लिए है।

15. **नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो:** यह प्रावधान स्वापक द्रव्यों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण लगाने के लिए राज्यों के संसाधनों में कमी को पूरा करने हेतु स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के माध्यम से राज्यों को प्रदान की जाने वाली अनुदानों पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए है।

16. **महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजना:** यह प्रावधान लोक लेखा और व्ययों में निर्भय कोष में निधियां अंतरित करने के लिए है (i) राष्ट्रीय आपात कार्रवाई प्रणाली तथा महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम: पीड़ितों से प्राप्त होने वाले संकट संकेत का सचल वैनों और नियंत्रण कक्षों की सहायता से बैक एंड इंटीग्रेशन (जिसका नाम बदलकर अब नेशनल इमरजेंसी रेस्पोंस सिस्टम कर दिया गया है), महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले साइबर अपराध की रोकथाम रखा गया है (ii) महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा कार्यान्वित की गई विभिन्न अन्य योजनाएं।

17. **भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण:** यह प्रावधान भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के व्ययों को वहन करने के लिए है। जिसमें लोगों तथा सामान के सीमा पार से आने-जाने के बारे में बेहतर प्रशासन और सम्यक प्रबंधन के लिए एकीकृत जांच चौकियों के निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव की देखभाल करना तथा इन्हें विनियमित करना शामिल है।

18. **इंडिया रिजर्व बटालियन और बटालियन तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति:** यह प्रावधान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन तथा रखरखाव और बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए है।

19.01. **राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और सीसीटीएनएस:** इस मद में क्राइम एंड क्रिमनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम संबंधी योजनाओं तथा राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान शामिल है।

19.02. **वामपंथ प्रभावित क्षेत्रों के लिए एसआरई एवं विशेष अवसंरचना स्कीम:** इस मद में सुरक्षा की योजनाओं संबंधी व्यय के लिए प्रावधान शामिल है। इस प्रावधान में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों की विशेष अवसंरचना संबंधी योजना के लिए व्यय भी शामिल हैं।

20. **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम:** यह प्रावधान सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए है।